दीपाक राजाक

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

14 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और बी. पी. सिंह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 201 सपठित धारा 34-– निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि - सह-अभियुक्तों को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरी किया गया- अपीलार्थी - अभियुक्त सह-अभियुक्तों की बरी होने का लाभ मांग रहा है - राज्य का तर्क है कि वह लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि उसने शुरू में आत्मसमर्पण नहीं किया था - अभिनिर्धारित किया गया: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था, वह सह-अभियुक्तों के बरी होने का लाभ पाने का हकदार था।

वर्तमान अपील में, अपीलार्थी -अभियुक्त, जिसे नीचे की अदालतों द्वारा आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 और 201 सपठित धारा धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था, ने तर्क दिया कि उसे सह-अभियुक्तों को बरी करने का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी -राज्य ने अपीलार्थी के मामले को इस आधार पर अलग कर दिया कि उसने शुरू में

आत्मसमर्पण नहीं किया था। हालाँकि, अपीलार्थी ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और दो साल से अधिक की हिरासत का सामना करना पड़ा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

समान तथ्यों और समान आरोपों पर समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्तों को बरी करने का लाभ देने का कानून उन मामलों में हटाया जा सकता है, जहां अभियुक्त ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर नहीं करने के अलावा दोषसिद्धि के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया था। लेकिन वर्तमान मामले में, आत्मसमर्पण के बाद, समान आरोपों पर सह-अभियुक्तों के मामले में बरी होने का लाभ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए निचली अदालतों द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। [पैरा 5, 6 और 7] [1024-सी-ई]

राजा राम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1994] 2 एससीसी 568; कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1995] पूरक 4 एससीसी 558; दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ ए.पी., [1999] 7 एससीसी 69; जयंतीभाई भेंकर बनाम गुजरात राज्य, [2002] 8 एससीसी 165; बिजॉय सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, [2002] 9 एससीसी 147; गुरुचरण कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, [2003] 2 एससीसी 698; अखिल अली जहांगीर अली सैय्यद बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2003] (2) एससीसी 708; सुरेश चौधरी बनाम बिहार राज्य 2003 (4)

एससीसी 128; पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य, [2003] 11 एससीसी 241; हेम राज और अन्य बनाम पंजाब राज्य, [2003] 12 एससीसी 241; विजरापु सांबय्या नायडू बनाम स्टेट ऑफ ए.पी. 2004 (10) एससीसी 152; मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [2004] 1 एससीसी 311; उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य 2005 10 एससीसी 336 और मुन्ना कुमार बनाम बिहार राज्य, [2005] 12 एससीसी 209, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1308/2001

सी.ए. संख्या 17/2000 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 24.5.2001 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से- संजय आर. हेगड़े, आनंद, ऐल मिश्रा, अभिजीत सेनगुप्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से- टी. सी. शर्मा, नीलम शर्मा, राजीव शर्मा।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. के द्वारा दिया गया।

1. अपीलार्थी को कई अन्य लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 302 सपठित धारा 34, धारा 201

सपठित धारा 34 और धारा 120 (बी) के तहत कथित दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा।

2. तथ्यात्मक विवरण से हमें निरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि इस न्यायालय ने मौसम सिंघा रॉय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2003] 12 एससीसी 377] मामले में सह-अभियुक्तों को निर्विवाद रूप से बरी कर दिया है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों के मुक़ाबले इस तरह के बरी होने के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विचार किया गया है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि बरी होने का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता ने शुरू में आत्मसमर्पण नहीं किया था और इसलिए जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। उन्होंने निमलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया - राजा राम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1994] 2 एससीसी 568; कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य [1995] पूरक 4 एससीसी 558); दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1999] 7 एससीसी 620; जयंतीभाई भेंकर बनाम गुजरात राज्य, [2002] एससीसी 165; बिजॉय सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, [2002] 9 एससीसी

147; गुरुचरण कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, [2003] 2 एससीसी 698; अखिल अली जहांगीर अली सैय्यद बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2003] 2 एससीसी 708), सुरेश चौधरी बनाम बिहार राज्य, [2003] 4 एससीसी 128); पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य, [2003] 11 एससीसी 241; हेम राज एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, [2003] 12 एससीसी 241; विजरापु सांबय्या नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [2004] 10 एससीसी 152; मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [2004] 12 एससीसी 311; उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य, [2005] 10 एससीसी 336 और मुन्ना कुमार बनाम बिहार राज्य, [2005] 12 एससीसी 209। अपीलार्थी ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और दो साल से अधिक समय तक हिरासत में रहा।

5. समान तथ्यों के समूह और समान आरोपों पर समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्तों को बरी करने की स्थिति में क्या होता है, इस पर कानून की स्थिति पर इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विचार किया गया है।

6. उन मामलों में छूट दी जा सकती है जहां अभियुक्त ने सजा के खिलाफ अपील दायर नहीं करने के अलावा सजा के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया था। लेकिन वर्तमान मामले की तरह, आत्मसमर्पण के बाद, समान

आरोपों पर सह-अभियुक्तों के मामले में बरी होने के लाभ का विस्तार किया जा सकता है।

7. अपील की अनुमति दी जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है।

के.के.टी. अपील की अनुमति दी जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी निलोफर तोमर (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।